NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Bhaskar, Delhi, 28/10/2025
Page No: 9, Size: 13.84cm × 11.83cm

टिप्पणी• महिला की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

महिला संग सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, अनुचित भाषा नही बोलें: कोर्ट

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग करने से बचने की अपेक्षा की जाती है। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें पुलिस थानों द्वारा महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और महिलाओं के साथ व्यवहार करते समय पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग न करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि अदालत को ऐसे कोई दिशानिर्देश बनाने का कोई कारण नहीं दिखता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग न करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए यह प्रार्थना गलत है। याचिकाकर्ता, थोप्पनी संजीव राव ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दर्ज की गई अपनी शिकायत की जांच की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि एनएचआरसी द्वारा पुलिस को चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने अपने 14 अक्टूबर के आदेश में कहा कि एनएचआरसी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना के संबंध में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूर्व के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में, आयोग के पास मामले की स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की शक्तियां हैं। अदालत ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए, याचिकाकर्ता आवश्यक निर्देश प्राप्त करने हेतु उचित आवेदन दायर करके आयोग के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Free Press Journal, Mumbai, 28/10/2025
Page No: 14, Size: 20.85cm × 22.07cm

2020 RIOTS | Request for adjournment to file reply to Khalid, Imam bail petitions rejected

Given enough time: SC junks Delhi cops' plea

Agencies
NEW DELHI

The Supreme Court on Monday refused to grant a two-week adjournment to the Delhi Police for filing a reply on the bail pleas of activists Umar Khalid, Sharjeel Imam, Gulfisha Fatima, and Meeran Haider in the UAPA case related to the alleged conspiracy behind the February 2020 Delhi riots.

A bench of Justices Aravind Kumar and N V Anjaria swiftly denied the request from Additional Solicitor General SV Raju, stating they had already provided "enough time."

The bench firmly asserted that in bail matters, there is "no question of filing counter" and announced they would hear the matter on October 31. Senior advocates Kapil Sibal and Abhishek Singhvi, representing the petitioners, emphasised that their clients have been in jail for over five years and stressed the need to avoid further delay in a case where the delay in trial is a central issue.

The activists are challenging a Delhi High Court order from September 2nd, which denied bail to nine accused. The High Court had ruled that "conspiratorial" violence under the guise of protest cannot be allowed, stating that the right to protest, while protected, is "not absolute" and subject to reasonable restrictions. The accused were booked under the UAPA for allegedly being the "masterminds" of the riots, which claimed 53 lives.

'Treat women with dignity'

The Delhi High Court observed that police officers are expected to treat women with dignity and must refrain from using inappropriate or unparliamentary language. Justice Sanjeev Narula made the observation while addressing a woman's petition seeking formal guidelines on how police stations should respectfully treat women. The court, however, found no need to frame new guidelines, stating the police's duty to treat women with dignity is already "beyond dispute." The court dismissed the prayer for new guidelines as "misconceived." Regarding the petitioner's complaint to the NHRC, the court advised her to make a fresh application to the commission for non-compliance.

The Indian Express

`No relatives in meetings': UP govt cracks down on proxy representation in civic bodies

https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/proxy-elected-representatives-kin-civic-bodies-uttar-pradesh-10330467/

October 27, 2025

Stressing the need for "accountability and independence" in the functioning of urban local bodies, the Uttar Pradesh government has directed the officials concerned to take steps to check the practice of proxy representation in urban local bodies amid reports of relatives of many elected representatives attending meetings of municipal corporations, municipal councils, and nagar panchayats.

The Directorate of Urban Local Bodies recently wrote to divisional commissioners, district magistrates, municipal commissioners and executive engineers of nagar palikas and nagar panchayats after receiving a letter from the National Human Rights Commission (NHRC).

In its communique, the NHRC had directed the state government to take "effective" measures to curb the practice and reinforce compliance with the rules.

Story continues below this ad

Taking note of a government order issued in 2012, the directorate reminded the officials that elected or ex-officio women office-bearers must personally and independently perform their duties and responsibilities. The directive specifically emphasises their active participation in administrative functions such as meetings and policy decisions, underscoring that these responsibilities cannot be delegated to others.

The government has made it clear that no relative or any other person should be permitted to interfere in, or act on behalf of, these representatives in the functioning of local bodies.

The move aims to ensure that local bodies function efficiently, make policy decisions in public interest as per rules, and strictly comply with the provisions of the relevant Acts.

The directive further states that the rule applies equally to male office-bearers as no one, whether a family member or any other person, will be allowed to interfere in or act on their behalf in the administrative affairs of the municipality.

The government has reminded the officials that non-compliance with the directions will invite action. If any instance of non-compliance comes to their notice, the authorities concerned must promptly verify and report the facts to the government, it was further stated. This will allow the administration to take quick disciplinary action against those found responsible, as per the relevant rules and regulations, it added.

Bar and Bench

Delhi High Court asks police for report on rape, forced beef-eating allegations against journalist Omar Rashid

The NHRC had earlier registered a complaint against Rashid on an anonymous social media post alleging rape, abuse and forced beef-eating against him.

https://www.barandbench.com/news/delhi-high-court-asks-police-for-report-on-rape-forced-beef-eating-allegations-against-journalist-omar-rashid

Bhavini Srivastava | Published on: 27 Oct 2025, 8:05 pm

2 min read

The Delhi High Court on Monday sought an action taken report (ATR) from the Delhi Police in the complaint case before National Human Rights Commission (NHRC) concerning a woman's allegations of rape, abuse and forced beef-eating against journalist Omar Rashid [Omar Rashid v. National Human Rights Commission & Anr].

Advocate Shaurya Mittal, appearing for Rashid, told the Court that earlier this year, an anonymous social media post carrying scathing and false allegations of sexual misconduct and forced beef-eating was made against him.

The NHRC registered a complaint on the basis of this anonymous post and directed the Delhi Police to file its ATR. Rashid moved the High Court against this order.

When the matter was heard today, Justice Sachin Datta said,

"You let them appear on Friday, I will issue directions. Let a copy of the Action Taken Report (ATR) as directed by the NHRC be produced for the perusal of the Court."

The matter will be heard on October 31.

Rashid stated that the complaint before NHRC has been pending for five months, during which time he has been unemployed.

"This person has destroyed my life. I am a celebrated journalist, I have been jobless for the past 5 months. This person has not come forward, no FIR has been registered. My prayer is very short, I just want a time-bound decision by the NHRC since the complaint has been pending for 5 months. I want a copy of the ATR," he submitted.

The journalist told the Court that as a "victim of the post", he had written to the NHRC, volunteering to join the investigation.

In an anonymous social media post, a woman alleged that the journalist, who was associated with news portal The Wire, raped and abused her, and used his Delhi's "liberal" media circles to trap her.

In its order dated May 23, 2025, the NHRC took cognisance of the complaint filed by a group called Sahyadri Rights Forum and directed the Delhi Police to file its ATR.

The Commission noted that the woman had complained to the management of The Wire and sought details of the steps taken under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (PoSH Act).

On June 9, the Commission took exception that despite specific directions, the Delhi Police had still not filed the ATR.

“The Commission takes it seriously and directs its Registry to issue a reminder to the CP, New Delhi to submit the requisite action taken report to the Commission within a period of 2 weeks, failing which the Commission may initiate coercive process u/s 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993,” the NHRC stated.

Since June 9, the matter has not been taken up by NHRC. Hence, Rashid moved the High Court seeking intervention for a time-bound decision on the NHRC complaint.

The New Indian Express

Avoid indecent language while interacting with women: Delhi HC tells police

The observation came as the court took up a petition filed by Thoppani Sanjeev Rao, who had sought the framing of specific guidelines mandating that women be treated respectfully in police stations.

https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2025/Oct/28/avoid-indecent-language-while-interacting-with-women-delhi-hc-tells-police

Express News Service

Updated on: 28 Oct 2025, 8:00 am

1 min read

NEW DELHI: Reiterating the duty of law enforcement personnel to maintain decorum, the Delhi High Court has said that police officers must uphold the dignity of women and avoid using any inappropriate or unparliamentary language while interacting with them.

The observation came as the court took up a petition filed by Thoppani Sanjeev Rao, who had sought the framing of specific guidelines mandating that women be treated respectfully in police stations. The petitioner had urged that the use of objectionable language by police be explicitly prohibited.

Justice Sanjeev Narula, however, declined to issue such directions, noting that these expectations were already implicit in the conduct required of public servants. “The court finds no reason to frame any such guidelines. It is beyond dispute that police officials are expected to treat women with dignity and must refrain from using inappropriate or unparliamentary language. Hence, the prayer sought is misconceived,” the judge said in the order passed on October 14.

Rao had also sought an inquiry into her complaint that had been registered by the National Human Rights Commission (NHRC).

City court slams probe lapses, acquits man accused of firing at police

A Delhi court acquited a 31-year-old man accused of opening fire on police personnel in 2019, observing that inconsistencies in statements and procedural lapses had severely weakened the case. The court said these flaws created “serious doubt” about the authenticity of the probe.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DECCAN CHRONICLE, Online, 28.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Deccan Chronicle

Delhi HC Rejects Plea for Police Conduct Guidelines, Stresses Dignity for Women

https://www.deccanchronicle.com/nation/delhi-hc-rejects-plea-for-police-conduct-guidelines-stresses-dignity-for-women-1912879

DC Correspondent 27 October 2025 4:27 PM

Court finds no need for new guidelines, expects police to treat women respectfully, and directs petitioner to NHRC for complaint follow-up

Delhi High Court dismisses a plea for guidelines on police conduct, affirming officers must treat women with dignity and directing the petitioner to NHRC for further action. New Delhi: The Delhi High Court has observed that police officers are expected to treat women with dignity, and must refrain from using inappropriate or unparliamentary language. The high court made the observation while dealing with a woman's petition seeking guidelines that police stations should treat women respectfully, and no unparliamentary language should be used by police officers while dealing with women.

Justice Sanjeev Narula said, "The court finds no reason to frame any such guidelines. It is beyond dispute that police officials are expected to treat women with dignity and must refrain from using inappropriate or unparliamentary language. Hence, the prayer sought is misconceived." The petitioner, Thoppani Sanjeev Rao, sought an investigation into her complaint registered as a case by the National Human Rights Commission (NHRC).

She contended that despite NHRC's directive to police to take necessary action within four weeks, no action was taken. The court, in its October 14 order, noted that regarding the prayer qua NHRC, the petitioner stated that in the event of non-compliance with the earlier directions, the commission possesses suo motu powers to inquire into the matter. "For this purpose, it is open to the petitioner to invoke the jurisdiction of the commission by filing an appropriate representation/application seeking necessary directions," it said

(Source : PTI)

Live Law

Police Officials Must Treat Women With Dignity, Avoid Inappropriate Language: Delhi High Court

Nupur Thapliyal 27 Oct 2025 10:15 AM (2 mins read)

The Delhi High Court has said that Police officials must treat women with dignity and avoid using inappropriate language with them.

Justice Sanjeev Narula was dealing with a plea filed by a woman, Thoppani Sanjeev Rao, seeking investigation into her complaint registered as a case by the National Human Rights Commission (NHRC). It was her case that despite NHRC's directive to the police to take necessary action within four weeks, no action was taken.

In her plea, the woman also sought framing of guidelines that the concerned police station should treat women respectfully and that no unparliamentary language shall be used by Police officials with any woman. On the first prayer, the Court noted that the woman said that in the event of non-compliance with the earlier directions, the NHRC possesses suo motu powers to inquire into the matter. Accordingly, the Court said that it will be open to the woman to invoke the jurisdiction of the Commission by filing an appropriate representation or application seeking necessary directions.

On the second prayer for framing of guidelines, the Court said: “With respect to Prayer B, the Court finds no reason to frame any such guidelines. It is beyond dispute that police officials are expected to treat women with dignity and must refrain from using inappropriate or unparliamentary language. Hence, the prayer sought is misconceived.”

Devdiscourse

High Court Stresses Dignity Towards Women by Police

The Delhi High Court emphasized that police officers should treat women with dignity and avoid inappropriate language. A woman's petition sought guidelines for respectful treatment by the police. The court found no need for such guidelines and acknowledged the NHRC's power to investigate non-compliance complaints.

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3674774-journalist-caught-with-illicit-liquor-on-madhya-pradesh-uttar-pradesh-border

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 27-10-2025 16:08 IST | Created: 27-10-2025 16:08 IST

This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

with dignity and avoiding the use of inappropriate language. Justice Sanjeev Narula remarked that creating guidelines for respectful conduct towards women by the police was unnecessary, as these expectations are already clear.

The petition was filed by Thoppani Sanjeev Rao, who sought the intervention of the National Human Rights Commission (NHRC) regarding alleged police misconduct. The court noted that the NHRC has the authority to independently investigate and take action on such complaints.

In its recent order, the court stated that the petitioner could approach the NHRC if the directives are not followed, invoking the commission's jurisdiction to ensure necessary measures are implemented.

(With inputs from agencies.)

LAW TREND, Online, 28.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Law Trend

Police Must Treat Women with Dignity, Refrain from Using Unparliamentary Language : Delhi High Court

https://lawtrend.in/delhi-high-court-police-must-treat-women-with-dignity-refrain-from-using-unparliamentary-language/

By Law Trend

October 27, 2025 6:06 PM

The Delhi High Court has underscored that police officers are duty-bound to treat women with dignity and avoid using inappropriate or unparliamentary language while dealing with them.

Justice Sanjeev Narula made the observation while hearing a petition filed by Thoppani Sanjeev Rao, who had sought directions to ensure that police stations treat women respectfully and refrain from using objectionable language.

Rejecting the plea for framing fresh guidelines, the court said such directions were unnecessary because the principle was already well established. “The court finds no reason to frame any such guidelines. It is beyond dispute that police officials are expected to treat women with dignity and must refrain from using inappropriate or unparliamentary language. Hence, the prayer sought is misconceived,” Justice Narula observed in the order.

The petitioner also sought an investigation into her complaint registered as a case by the National Human Rights Commission (NHRC), alleging that no action had been taken despite the NHRC’s directive to the police to act within four weeks.

Addressing this aspect, the court noted that if the NHRC’s earlier directions had not been complied with, the petitioner could approach the commission again. “In the event of non-compliance with the earlier directions, the commission possesses suo motu powers to inquire into the matter. For this purpose, it is open to the petitioner to invoke the jurisdiction of the commission by filing an appropriate representation/application seeking necessary directions,” the order stated.

The High Court disposed of the plea with these observations, reiterating that law enforcement authorities are inherently expected to act with decorum and respect, particularly while interacting with women.

ETV Bharat

Police Officers Expected To Treat Women With Dignity, Avoid Inappropriate Language: Delhi HC

The court made the observation while dealing with a woman's petition seeking guidelines that police stations should treat women respectfully.

https://www.etvbharat.com/en/bharat/police-officers-expected-to-treat-women-with-dignity-avoid-inappropriate-language-delhi-hc-enn25102703589

By PTI | Published : October 27, 2025 at 4:33 PM IST

New Delhi: The Delhi High Court has observed that police officers are expected to treat women with dignity, and must refrain from using inappropriate or unparliamentary language.

The high court made the observation while dealing with a woman's petition seeking guidelines that police stations should treat women respectfully, and no unparliamentary language should be used by police officers while dealing with women.

Justice Sanjeev Narula said, "The court finds no reason to frame any such guidelines. It is beyond dispute that police officials are expected to treat women with dignity and must refrain from using inappropriate or unparliamentary language. Hence, the prayer sought is misconceived."

The petitioner, Thoppani Sanjeev Rao, sought an investigation into her complaint registered as a case by the National Human Rights Commission (NHRC). She contended that despite NHRC's directive to police to take necessary action within four weeks, no action was taken.

The court, in its October 14 order, noted that regarding the prayer qua NHRC, the petitioner stated that in the event of non-compliance with the earlier directions, the commission possesses suo motu powers to inquire into the matter.

"For this purpose, it is open to the petitioner to invoke the jurisdiction of the commission by filing an appropriate representation/application seeking necessary directions," it said.

Amar Ujala

Delhi: महिलाओं से सम्मानजनक तरीके से पेश आएं पुलिसकर्मी, हाईकोर्ट ने दी हिदायत; जानें क्यों की ऐसी टिप्पणी

https://www.amarujala.com/delhi-ncr/policemen-should-treat-women-with-respect-said-delhi-high-court-2025-10-28?pageId=4

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 28 Oct 2025 08:09 AM IST

सार

दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को महिलाओं से सम्मानजनक व्यवहार करने और असंसदीय भाषा न इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत दी। याचिकाकर्ता को एनएचआरसी के पूर्व निर्देशों के पालन न होने पर आयोग में फिर आवेदन करने की सलाह दी है।

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे महिलाओं के साथ गरिमा और सम्मान के साथ पेश आएं। अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि महिलाओं से बातचीत के दौरान पुलिस अधिकारी अपशब्दों या असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कर्तव्य पुलिसकर्मियों का मूलभूत दायित्व है और इसके लिए अलग से कोई नई गाइडलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। थोप्पानी संजीव राव नामक याचिकाकर्ता ने पुलिस थानों में महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने और अपमानजनक भाषा रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की थी।

इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में दर्ज एक शिकायत की जांच कराने की भी गुहार लगाई थी। एनएचआरसी ने पुलिस को चार सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

न्यायमूर्ति संजीव नरुला की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट को कोई कारण नजर नहीं आता कि ऐसी कोई गाइडलाइन तैयार की जाए। लेकिन यह निर्विवाद है कि पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ गरिमा का व्यवहार करेंगे और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए, मांगी गई प्रार्थना गलत दिशा में है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि एनएचआरसी के पूर्व निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, तो याचिकाकर्ता आयोग के पास फिर से आवेदन कर सकते हैं।आयोग के पास स्वत: संज्ञान लेने की शक्ति है, जिसके तहत वह गैर-अनुपालन की जांच कर सकता है।

अदालत ने नई गाइडलाइन बनाने से इनकार करते हुए जोर दिया कि सम्मान और शालीनता का व्यवहार पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी का हिस्सा है, खासकर महिलाओं के मामले में।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि एनएचआरसी की शिकायत में पुलिस की ओर से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था, जिसकी कोई प्रगति नहीं हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे आयोग के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व या आवेदन देकर आवश्यक निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

Law Trend

पुलिसकर्मियों को महिलाओं के साथ गरिमा से पेश आना चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग न करें: दिल्ली हाईकोर्ट

https://lawtrend.in/delhi-high-court-police-women-dignity-unparliamentary-language/

By Law Trend

October 27, 2025 6:08 PM

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए बाध्य हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की अनुचित या असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने यह टिप्पणी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें यह मांग की गई थी कि सभी पुलिस थानों में यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाएं कि पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और अभद्र भाषा का प्रयोग न करें।

अदालत ने ऐसी किसी नई गाइडलाइन को जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि यह सिद्धांत पहले से ही स्थापित है और अलग से किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति नरूला ने कहा, "अदालत को ऐसे किसी दिशा-निर्देश को तैयार करने का कोई कारण नहीं दिखता। यह निर्विवाद है कि पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ गरिमा से पेश आने और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग न करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना भ्रांतिपूर्ण है।"

याचिकाकर्ता ठोप्पानी संजीव राव ने यह भी शिकायत की थी कि उनकी शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा पुलिस को चार हफ्तों में कार्रवाई करने के निर्देश देने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया।

इस पर अदालत ने कहा कि अगर आयोग के निर्देशों का पालन नहीं हुआ है, तो याचिकाकर्ता आयोग के समक्ष फिर से आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग कर सकती हैं। अदालत ने कहा, "यदि पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं हुआ है, तो आयोग के पास स्वतः संज्ञान लेकर मामले की जांच करने की शक्ति है। इस उद्देश्य से याचिकाकर्ता उपयुक्त आवेदन देकर आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकती हैं।"

इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया और कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वे अपने व्यवहार में शालीनता और सम्मान बनाए रखें, खासकर जब वे महिलाओं से संबंधित मामलों से निपट रहे हों।

Head Topics

`महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग करने से पुलिस को बचना चाहिए', दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

https://in.headtopics.com/news/392350236123672101540-74969972

Delhi High Court समाचार

27-10-2025 17:55:00

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा कि पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालत ने एनएचआरसी में दर्ज एक महिला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। अदालत ने कहा कि इस मामले में किसी विशेष दिशानिर्देश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस से पहले से ही उचित व्यवहार की अपेक्षा...

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अदालत ने उक्त टिप्पणी थोप्पनी संजीव राव नामक एक महिला की याचिका पर की। महिला ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज की गई उनकी शिकायत की जांच की मांग की थी। हालांकि, न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि अदालत को ऐसे कोई दिशानिर्देश बनाने का कोई कारण नहीं दिखता। पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग करने से बचने की अपेक्षा की जाती है।महिला ने याचिका में कहा कि एनएचआरसी द्वारा पुलिस को चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूर्व के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आयोग के पास मामले की स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की शक्तियां हैं। पीठ ने कहा कि इसके लिए याचिकाकर्ता आवेदन दायर करके आयोग के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।.

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अदालत ने उक्त टिप्पणी थोप्पनी संजीव राव नामक एक महिला की याचिका पर की। महिला ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज की गई उनकी शिकायत की जांच की मांग की थी। हालांकि, न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि अदालत को ऐसे कोई दिशानिर्देश बनाने का कोई कारण नहीं दिखता। पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग करने से बचने की अपेक्षा की जाती है।महिला ने याचिका में कहा कि एनएचआरसी द्वारा पुलिस को चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूर्व के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आयोग के पास मामले की स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की शक्तियां हैं। पीठ ने कहा कि इसके लिए याचिकाकर्ता आवेदन दायर करके आयोग के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

LIVE LAW, Online, 28.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Live Law Hindi

पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और अनुचित भाषा का प्रयोग न करें: दिल्ली हाईकोर्ट

https://hindi.livelaw.in/amp/delhi-high-court/police-officials-must-treat-women-with-dignity-avoid-inappropriate-language-delhi-high-court-307896

By - Shahadat

Update: 2025-10-27 05:11 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ अनुचित भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

जस्टिस संजीव नरूला की पीठ थोप्पनी संजीव राव नामक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा दर्ज की गई उनकी शिकायत की जांच की मांग की गई।

उनका कहना था कि NHRC द्वारा पुलिस को चार हफ़्तों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अपनी याचिका में, महिला ने यह भी मांग की कि संबंधित पुलिस थाने में महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी महिला के साथ असंसदीय भाषा का प्रयोग न करने के लिए दिशानिर्देश बनाए जाएं।

पहली याचिका पर कोर्ट ने कहा कि महिला ने कहा कि पहले के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में NHRC के पास मामले की स्वतः जांच करने की शक्ति है।

तदनुसार, न्यायालय ने कहा कि महिला आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए उचित अभ्यावेदन या आवेदन दायर करके आयोग के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है।

दिशानिर्देश तैयार करने की दूसरी प्रार्थना पर कोर्ट ने कहा:

“प्रार्थना बी के संबंध में कोर्ट को ऐसे कोई दिशानिर्देश तैयार करने का कोई कारण नहीं दिखता। यह निर्विवाद है कि पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग करने से बचने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए मांगी गई प्रार्थना गलत है।”

Jagran

`महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग करने से पुलिस को बचना चाहिए’, दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-delhi-high-court-police-must-avoid-abusive-language-towards-women-40021206.html?utm_source=article_detail&utm_medium=CRE&utm_campaign=latestnews_CRE

By Vineet Tripathi Edited By: Sonu Suman

Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:16 PM (IST)

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा कि पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालत ने एनएचआरसी में दर्ज एक महिला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। अदालत ने कहा कि इस मामले में किसी विशेष दिशानिर्देश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस से पहले से ही उचित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।

HighLights

हाई कोर्ट: पुलिस महिलाओं से सम्मानपूर्वक पेश आए

अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचें: कोर्ट

एनएचआरसी में शिकायत की जांच की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अदालत ने उक्त टिप्पणी थोप्पनी संजीव राव नामक एक महिला की याचिका पर की। महिला ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दर्ज की गई उनकी शिकायत की जांच की मांग की थी।

हालांकि, न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि अदालत को ऐसे कोई दिशानिर्देश बनाने का कोई कारण नहीं दिखता। पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग करने से बचने की अपेक्षा की जाती है।

महिला ने याचिका में कहा कि एनएचआरसी द्वारा पुलिस को चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूर्व के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आयोग के पास मामले की स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की शक्तियां हैं। पीठ ने कहा कि इसके लिए याचिकाकर्ता आवेदन दायर करके आयोग के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

Navbharat Times

पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं से सम्मानपूर्वक व्यवहार करें: दिल्ली उच्च न्यायालय

https://navabharat.news/police-are-expected-to-treat-women-with-respect-delhi-high-court/

Yogesh Kumar Sahu | October 27, 2025 Last Updated: October 27, 2025

नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने से बचें. उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की. महिला ने याचिका दायर करते हुए आग्रह किया था कि थानों को महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और महिलाओं से पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए जाएं.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा, ”अदालत को ऐसे कोई दिशानिर्देश बनाने का कोई कारण नहीं दिखता. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और अनुचित भाषा का प्रयोग करने से बचने की अपेक्षा की जाती है. इसलिए दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह गलत है.” याचिकाकर्ता थोप्पनी संजीव राव ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में अपनी एक शिकायत दर्ज करवाई थी और याचिकाकर्ता राव ने इसी शिकायत की जांच कराने का आग्रह किया था. राव ने दलील दी थी कि एनएचआरसी द्वारा पुलिस को चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.

अदालत ने 14 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि एनएचआरसी के संबंध में याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूर्व के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आयोग के पास मामले की स्वत: संज्ञान लेकर जांच करने की शक्तियां हैं.

Navbharat Times

महिलाओं की सुरक्षा पर राजनीति: तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को लगाई कड़ी फटकार

https://navbharattimes.indiatimes.com/epaper/2025/oct/october27/politics-on-womens-safety-tmcs-sharp-attack-on-bjp-questions-nari-shakti-slogan/articleshow/124838055.cms

TOI.in•27 Oct 2025, 12:04 pm

Subscribe

तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर चुप्पी साधी जाती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की घटनाओं का जिक्र करते हुए टीएमसी ने बीजेपी के दोहरे मापदंड की आलोचना की।

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब उनके शासन वाले राज्यों में महिलाएं असुरक्षित हैं, तो वे 'नारी शक्ति' का नारा नहीं दे सकते। TMC ने बीजेपी के "चुनिंदा आक्रोश" की आलोचना की, खासकर जब पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं होती हैं, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साध ली जाती है। TMC ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों और राष्ट्रीय महिला आयोग से उसी जवाबदेही की मांग की है, जो वे बंगाल से चाहते हैं।

पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल विकास मंत्री शशि पांजा ने कहा कि जब महाराष्ट्र में एक परेशान महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली और इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ हुई, तो वहां कोई आवाज नहीं उठी। उन्होंने सवाल उठाया कि "जब ऐसी घटना महाराष्ट्र में होती है, तो यह दुखद है, ठीक वैसे ही जैसे बंगाल में होती। लेकिन महाराष्ट्र में कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कोई हंगामा नहीं, कोई आक्रोश नहीं। हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से एक भी बयान नहीं देखा है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कहां है? क्या किसी राज्य या राष्ट्रीय महिला आयोग ने पीड़ित के स्थान का दौरा किया है? मुख्यमंत्री के इस्तीफे की कोई मांग भी नहीं हुई है, जो हम बंगाल में ऐसी समान घटनाओं में हमेशा देखते हैं।"

पांजा ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए जिन्होंने "आरजी कर की पीड़ित के लिए आवाज उठाई थी, वे अब चुप क्यों हैं?" उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में किसी मंत्री ने बात नहीं की है, कोई महिला विंग आगे नहीं आई है। हर कोई इतना चुप क्यों है? ऐसी हर घटना दुखद है, और हम 'व्हाटएबाउटरी' (दूसरों पर दोष मढ़ना) नहीं कर रहे हैं, न ही हम किसी घटना का इस्तेमाल बंगाल के किसी मामले का बचाव करने के लिए कर रहे हैं। जब भी बंगाल में कुछ होता है, तत्काल कार्रवाई की जाती है और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि, महाराष्ट्र में, आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने के बजाय, उन्हें केवल निलंबित किया गया है

मंत्री ने कहा कि वे जानते थे कि बीजेपी राजनीतिक रूप से दिवालिया है, लेकिन अब वे भावनात्मक रूप से भी दिवालिया साबित हो रही है। उन्होंने पूछा, "जब भी बंगाल में कुछ होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर पड़ोसी राज्यों के महिला आयोग तक यहां दौड़ते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या सभी एजेंसियां केवल बंगाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए आरक्षित हैं?"

TMC ने X (पूर्व में ट्विटर) पर इंदौर की घटना का जिक्र करते हुए पोस्ट किया: "बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के इंदौर की सड़कों पर ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की दो क्रिकेटरों से छेड़छाड़ की गई। हमारे मेहमान, अंतरराष्ट्रीय एथलीट, दिनदहाड़े एक कैफे में जा रहे थे और उन्हें एक ऐसे राज्य में डर के मारे SOS भेजना पड़ा जो खुद को 'भारत का दिल' कहता है। एक राष्ट्र जो कभी हर मेहमान का 'अतिथि देवो भवः' से स्वागत करता था, वह महिलाओं के खिलाफ अपराधों - नागरिकों और आगंतुकों दोनों के लिए - के लिए वैश्विक सुर्खियां बटोर रहा है। चुप्पी ताकत नहीं, बल्कि समर्पण है।"

TMC का कहना है कि बीजेपी का "नारी शक्ति" का नारा खोखला है जब तक कि वे अपने शासन वाले राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते। वे चाहते हैं कि बीजेपी उसी तरह की जवाबदेही दिखाए जैसी वे पश्चिम बंगाल से उम्मीद करते हैं। TMC ने जोर देकर कहा कि वे किसी भी घटना का इस्तेमाल दूसरे मामले को सही ठहराने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे केवल निष्पक्षता और समान व्यवहार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में अपराधों पर तुरंत कार्रवाई होती है, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा नहीं होता।

IBC24

पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं से सम्मानपूर्वक व्यवहार करें: दिल्ली उच्च न्यायालय

https://www.ibc24.in/country/police-are-expected-to-treat-women-with-respect-delhi-high-court-3310858.html/amp

Bhasha | Publish Date - October 27, 2025 / 06:06 PM IST,

Updated On - October 27, 2025 / 06:06 PM IST

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने से बचें।

उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। महिला ने याचिका दायर करते हुए आग्रह किया था कि थानों को महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और महिलाओं से पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा, ''अदालत को ऐसे कोई दिशानिर्देश बनाने का कोई कारण नहीं दिखता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और अनुचित भाषा का प्रयोग करने से बचने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह गलत है।''

याचिकाकर्ता थोप्पनी संजीव राव ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में अपनी एक शिकायत दर्ज करवाई थी और याचिकाकर्ता राव ने इसी शिकायत की जांच कराने का आग्रह किया था।

राव ने दलील दी थी कि एनएचआरसी द्वारा पुलिस को चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अदालत ने 14 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि एनएचआरसी के संबंध में याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूर्व के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आयोग के पास मामले की स्वत: संज्ञान लेकर जांच करने की शक्तियां हैं।

भाषा यासिर रंजन

रंजन

The Print

सालों तक ठुकराए जाने और भेदभाव झेलने के बाद ट्रांस टीचर जेन कौशिक को आखिरकार SC से मिला इंसाफ

स्कूलों में नौकरी ढूंढते वक्त जेन को भेदभाव का सामना करना पड़ा, यहां तक कि जिन संस्थाओं को उनके अधिकारों की रक्षा करनी थी, वे भी असफल रहीं. अब जेन सिस्टम में बदलाव की मांग कर रही हैं.

https://hindi.theprint.in/india/yrs-of-rejection-bias-took-trans-teacher-jane-kaushik-to-sc-she-finally-got-justice-its-about-dignity/886329/?amp

रुचि भट्टर | 27 October, 2025

नई दिल्ली: कई सालों तक ट्रांसजेंडर होने के कारण ठुकराए जाने और भेदभाव झेलने के बाद टीचर जेन कौशिक को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है. कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों और राज्य सरकारों दोनों को उनके अधिकारों की रक्षा न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

17 अक्टूबर को आए इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के साथ रोज़गार में होने वाले भेदभाव पर सख्त टिप्पणी की. न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट, 2019 और 2020 के नियमों को ठीक से लागू करने में नाकाम रहीं, जबकि ये कानून कई सालों से लागू हैं.

कोर्ट ने कहा कि शिकायत निवारण तंत्र, कल्याण बोर्ड और शिकायत अधिकारी न होने के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय को दिए गए कानूनी अधिकार सिर्फ "कागज़ी सुरक्षा" बनकर रह गए हैं.

इस केस के केंद्र में हैं जेन कौशिक — जिन्हें सिर्फ उनकी जेंडर आइडेंटिटी के कारण दो प्राइवेट स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ा. लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुल 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया — जिसमें केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार से 50-50 हज़ार रुपये और गुजरात के एक निजी स्कूल से 50 हज़ार रुपये शामिल हैं.

जेन ने दिप्रिंट को बताया, "यूपी के एक स्कूल में एक दिन एक छात्र को मेरी जेंडर आइडेंटिटी का पता चल गया और फिर प्रिंसिपल को भी पता चला. उसी दिन मुझे क्लास लेने से रोक दिया गया और तुरंत निकाल दिया गया. यहां तक कि मुझे हॉस्टल भी छोड़ने को कहा गया, जबकि दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी. मुझे रात में अकेले बस से लौटना पड़ा — वो बहुत डरावना अनुभव था."

दिल्ली की रहने वाली और दो मास्टर डिग्रियों (पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश) के साथ बी.एड. करने के बावजूद जेन को बार-बार स्कूलों से रिजेक्शन मिला.

उन्होंने कहा, "जब मैंने दिल्ली के स्कूलों में आवेदन किया और अपनी जेंडर आइडेंटिटी बताई, तो सब चुप हो गए. कुछ एचआर वालों ने साफ कहा कि प्रिंसिपल अब मेरा सीवी देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर हूं."

2023 में जेन को गुजरात के एक स्कूल में टीचर पद के लिए चुना गया था, लेकिन जैसे ही स्कूल को उनकी पहचान का पता चला, उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया गया.

जेन ने बताया, "उन्होंने फोन पर मुझसे कहा कि क्या मैं बच्चों पर गलत असर डालूंगी. नौकरी देने की बजाय उन्होंने कहा कि मुझे किसी बड़े शहर में काम करना चाहिए."

बार-बार के इस भेदभाव ने जेन को मानसिक रूप से झकझोर दिया. उन्होंने कहा कि वे अब भी डिप्रेशन और एंग्जायटी के इलाज के लिए मनोचिकित्सक से मदद ले रही हैं.

संस्थागत नाकामी

सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले जेन कौशिक ने कई अहम अधिकारिक संस्थाओं से मदद मांगी थी—जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद, लेकिन उन्होंने बताया कि इन समितियों ने उनकी गवाही को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया और स्कूलों के पक्ष में झुकाव दिखाया.

उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय महिला आयोग की एक समिति ने तो मुझसे यह तक नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या भेदभाव हुआ. उन्होंने सिर्फ स्कूल के दिए गए बयानों पर भरोसा कर लिया."

पुलिस से भी उन्हें कोई ठोस मदद नहीं मिली. उन्होंने कहा, "मुझे जब नौकरी से निकाला गया, तब मैं चाहती तो पुलिस को बुला सकती थी, लेकिन एक ट्रांसजेंडर महिला होने के नाते मुझे डर था कि वे असंवेदनशील व्यवहार करेंगे या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे. बाद में दिल्ली महिला आयोग के मार्गदर्शन से ही मेरी शिकायत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दर्ज हो सकी."

सुप्रीम कोर्ट का दो लाख रुपये मुआवज़ा आदेश भले ही उनके संघर्ष को मान्यता देता है, लेकिन जेन का कहना है कि यह रकम उनके आर्थिक और मानसिक नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर सकती.

उन्होंने कहा, "मैं छह-सात महीने तक घर पर रही, जबकि मेरी तनख्वाह 45,000 रुपये महीना थी. यह रकम मेरे मानसिक आघात और करियर पर पड़े असर की तुलना में कुछ भी नहीं है."

जेन ने इस मामले को सिर्फ अपने व्यक्तिगत संघर्ष से आगे बढ़ाकर एक बड़े मुद्दे के रूप में भी रखा.

उन्होंने कहा, "NALSA 2014 (सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जिसने ट्रांसजेंडर लोगों को 'तीसरा लिंग' माना), ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 और 2020 के नियमों के बावजूद इनका सही तरीके से लागू न होना सबसे बड़ी समस्या है. जब तक राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति नहीं होगी, भेदभाव यूं ही जारी रहेगा. ट्रांसजेंडर लोगों को आज भी दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह ट्रीट किया जाता है."

जेन ने कहा, "यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है. यह दिखाई देने, सम्मान और प्रतिनिधित्व का सवाल है—स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और विश्वविद्यालयों में. जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कानूनों को पूरी तरह लागू नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा."

KHAS KHABAR, Online, 28.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Khas Khabar

डॉ. चिन्मय पंड्या ने लोकसभा अध्यक्ष की पत्नी अनीता बिड़ला को दिया जन्मशताब्दी महोत्सव का निमंत्रण

https://www.khaskhabar.com/local/delhi-ncr/delhi-news/-dr-chinmay-pandya-invited-lok-sabha-speaker-wife-anita-birla-to-the-birth-centenary-celebrations-news-hindi-1-763003-KKN.html

Oct 27, 2025 9:19 pm

नई दिल्ली। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार के प्रतिकुलपति डॉ. चिन्मय पंड्या ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की धर्मपत्नी, डॉ. अनीता बिड़ला से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर परम वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी महोत्सव (वर्ष 2026) हेतु सादर निमंत्रण प्रदान किया गया। इसी क्रम में आदरणीय डॉ. चिन्मय पंड्या ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के पूर्व अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो से भी स्नेहपूर्ण भेंट की।

इस भेंट के दौरान समाज में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना तथा युवाओं में संवेदनशीलता और कर्तव्यपरायणता के प्रसार पर प्रेरक चर्चा हुई। भेंटवार्ता के दौरान भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण, नारी शक्ति के जागरण एवं मूल्यनिष्ठ जीवन के संवर्धन पर सारगर्भित एवं प्रेरक संवाद हुआ।

Head Topics

पश्चिम बंगाल की बड़ी जीत: सुप्रीम कोर्ट ने दिया फिर से मनरेगा शुरू करने का आदेश, केंद्र की अर्जी खारिज

https://in.headtopics.com/news/234623582381233109810-74979042

27-10-2025 21:26:00

सर्दी अभी शुरू भी नहीं हुई और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दे दी है. 2019 से 2023 के बीच ठंड से हुई 3,600 से ज्यादा मौतों के आंकड़े सामने आने के बाद आयोग ने कहा है कि इस बार किसी की जान लापरवाही की वजह से नहीं जानी चाहिए.

पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सोमवार का दिन बड़ी जीत लेकर आया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने राज्य में मनरेगा यानी 100 दिन के रोजगार गारंटी योजना को तीन साल बाद दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया था.

क्या है मनरेगा?महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना साल 2006 में यूपीए सरकार के दौरान शुरू हुई थी. इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को साल में कम से कम 100 दिन का मजदूरी वाला रोजगार देना है ताकि उनकी जीविका सुरक्षित रहे.तीन साल से बंद थी योजनाकेंद्र सरकार ने मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल में मनरेगा के फंड जारी करना बंद कर दिया था. केंद्र का आरोप था कि योजना में भ्रष्टाचार हुआ है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 18 जून के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को एक अगस्त से पश्चिम बंगाल में यह योजना दोबारा लागू करनी होगी.हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन मामलों की जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके चलते योजना को बंद नहीं किया जा सकता.

अब केंद्र को फिर जारी करने होंगे फंडसुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड जारी करने होंगे. संसद के मानसून सत्र में 22 जुलाई को केंद्र ने कहा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहा है.टीएमसी ने बताया 'ऐतिहासिक जीत', बीजेपी पर निशानातृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि बंगाल विरोधी बाहरी जमींदारों को एक और करारी हार. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज कर दी है. ये बंगाल के लोगों की ऐतिहासिक जीत है जिन्होंने दिल्ली के अहंकार और अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया.अभिषेक ने आगे कहा कि जब बीजेपी हमें चुनाव में नहीं हरा पाई तो उसने आर्थिक नाकाबंदी थोप दी. गरीबों की मजदूरी रोक दी ताकि बंगाल को सजा दी जा सके. लेकिन हमने हर हक की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की. ये फैसला लोकतंत्र की जीत है और उन लोगों के लिए सबक है जो सोचते थे कि बंगाल को डराया या झुकाया जा सकता है.उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता तो चाहती है लेकिन जवाबदेही नहीं. वे बंगाल से लेते हैं, लेकिन उसका हक लौटाते नहीं. अब उन्हें जनता ने भी हराया और सुप्रीम कोर्ट ने भी.---- समाप्त -

Aaj Tak

पश्चिम बंगाल की बड़ी जीत: सुप्रीम कोर्ट ने दिया फिर से मनरेगा शुरू करने का आदेश, केंद्र की अर्जी खारिज

सर्दी अभी शुरू भी नहीं हुई और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दे दी है. 2019 से 2023 के बीच ठंड से हुई 3,600 से ज्यादा मौतों के आंकड़े सामने आने के बाद आयोग ने कहा है कि इस बार किसी की जान लापरवाही की वजह से नहीं जानी चाहिए. आयोग ने नवजातों, बच्चों, बुजुर्गों और बेघर लोगों के लिए ठंड से बचाव के ठोस इंतज़ाम करने को कहा है.

https://www.aajtak.in/india/news/story/india-nhrc-cold-wave-homeless-deaths-winter-preparedness-shelter-homes-ntcpmm-rpti-2369334-2025-10-27

संजय शर्मा, नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2025,

(अपडेटेड 27 अक्टूबर 2025, 9:29 PM IST)

पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सोमवार का दिन बड़ी जीत लेकर आया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने राज्य में मनरेगा (MGNREGA) यानी 100 दिन के रोजगार गारंटी योजना को तीन साल बाद दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया था.

क्या है मनरेगा?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) साल 2006 में यूपीए सरकार के दौरान शुरू हुई थी. इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को साल में कम से कम 100 दिन का मजदूरी वाला रोजगार देना है ताकि उनकी जीविका सुरक्षित रहे.

तीन साल से बंद थी योजना

केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल में मनरेगा के फंड जारी करना बंद कर दिया था. केंद्र का आरोप था कि योजना में भ्रष्टाचार हुआ है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 18 जून के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को एक अगस्त से पश्चिम बंगाल में यह योजना दोबारा लागू करनी होगी.

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन मामलों की जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके चलते योजना को बंद नहीं किया जा सकता.

अब केंद्र को फिर जारी करने होंगे फंड

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड जारी करने होंगे. संसद के मानसून सत्र में 22 जुलाई को केंद्र ने कहा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहा है.

टीएमसी ने बताया 'ऐतिहासिक जीत', बीजेपी पर निशाना

AAJ TAK, Online, 28.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि बंगाल विरोधी बाहरी जमींदारों को एक और करारी हार. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज कर दी है. ये बंगाल के लोगों की ऐतिहासिक जीत है जिन्होंने दिल्ली के अहंकार और अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया.

अभिषेक ने आगे कहा कि जब बीजेपी हमें चुनाव में नहीं हरा पाई तो उसने आर्थिक नाकाबंदी थोप दी. गरीबों की मजदूरी रोक दी ताकि बंगाल को सजा दी जा सके. लेकिन हमने हर हक की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की. ये फैसला लोकतंत्र की जीत है और उन लोगों के लिए सबक है जो सोचते थे कि बंगाल को डराया या झुकाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता तो चाहती है लेकिन जवाबदेही नहीं. वे बंगाल से लेते हैं, लेकिन उसका हक लौटाते नहीं. अब उन्हें जनता ने भी हराया और सुप्रीम कोर्ट ने भी.

Live Law

Prof Ali Khan Mahmudabad Seeks Release Of Passport Surrendered As Bail Condition; Supreme Court Adjourns Hearing Till Nov 18

https://www.livelaw.in/amp/top-stories/supreme-court-professor-ali-khan-mahmudabad-haryana-police-fir-social-media-post-operation-sindoor-passport-release-307939

By - Debby Jain

Update: 2025-10-27 08:56 GMT

Ashoka University Professor Ali Khan Mahmudabad, who has been booked by Haryana Police over his social media posts about 'Operation Sindoor', today prayed for release of his passport before the Supreme Court.

The matter was listed before a bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi. Senior Advocate Kapil Sibal appeared for Mahmudabad and sought the relief, since Mahmudabad was directed to surrender his passport as a bail condition. The bench however adjourned the hearing till November 18.

"In the meantime, let the passport be returned to him. I don't know why the passport is kept...", Sibal urged. Additional Solicitor General SV Raju (for Haryana) responded to the submission, saying, "if he wants to go abroad, he can give the itinerary". The ASG clarified that the passport was surrendered to authorities as a bail condition but they would not object to his foreign travel. "If you are not going to object, then give the passport back", retorted Sibal.

Indicating that the matter would be listed on a non-miscellaneous day, Justice Kant said to Sibal, "You are not going tomorrow itself".

To recap, on May 21, the Court granted interim bail to Mahmudabad on May 21, while directing the Haryana DGP to constitute a Special Investigation Team to “holistically understand the complexity of the phraseology employed and for proper appreciation of some of the expressions used in these two online posts.”

On August 25, the Haryana Police informed the Court that it had filed closure report in one FIR against Mahmudabad and a chargesheet in another FIR lodged over his social media posts. Taking note, the Court quashed the FIR in which closure report was filed and passed an interim order qua the other thereby restraining the Magistrate from taking cognizance of the chargesheet.

During the hearing, Senior Advocate Kapil Sibal (for Mahmudabad) contested the invocation of Section 152 BNS (stated to be a substitute for old sedition law) by Haryana Police, pointing out that the challenge to constitutionality of the provision was pending before the Court.

Background

Mahmudabad is facing offences under Sections 196, 152 etc., of the Bharatiya Nyaya Sanhita, inter-alia, pertaining to acts prejudicial to maintaining communal harmony, making assertions likely to cause disharmony, acts endangering national sovereignty and words or gestures intended to insult a woman's modesty.

He was arrested on May 18 pursuant to an FIR lodged by Haryana police over his social media posts and remained in custody until May 21, when he was granted interim bail by the Supreme Court. At the same time, the Court refused to stay the investigation and directed the Haryana DGP to constitute a Special Investigation Team comprising senior IPS officers, who did not belong to Haryana or Delhi, to examine and report on the Professor's two online posts.

As a condition of interim bail, the top Court restrained Mahmudabad from writing any posts/articles in relation to the social media posts which were subject matter of the case or from expressing any opinion in relation to the terrorist attack on Indian soil or the counter-response given by India. The Court also directed him to join and fully cooperate with the investigation. He was further directed to surrender his passport.

When an apprehension was shown from Mahmudabad's end that further FIRs may be registered on the same issue, Justice Kant orally told Haryana government to ensure that the same did not happen. Nonetheless, the judge expressed reservations about Mahmudabad's comments in his social media posts. A stern view was also taken of students and teachers condemning Mahmudabad's arrest.

Later, Mahmudabad's counsels raised an apprehension that the SIT constituted by the State may investigate aspects beyond the subject FIRs. This led the Supreme Court to clarify that the SIT probe shall be limited to the two FIRs lodged against Mahmudabad and cannot be expanded. Authorities' seeking access to Mahmudabad's digital devices was also ruled out.

Although a relaxation of the bail conditions imposed on the Professor was sought, the Court underlined the need for a cooling-off period and asked his counsels to remind on the next date. Notably, it also questioned the Haryana government about its response to National Human Rights Commission taking cognizance of the manner of registration of FIR in Mahmudabad's case.

On July 16, the Court asked why the Haryana Police SIT was "misdirecting itself". It observed that the SIT was formed specifically to investigate the two social media posts and asked why the scope was being expanded. The bench made these comments after Senior Advocate Kapil Sibal (for Mahmudabad) submitted that the SIT had seized his devices and was asking about foreign trips for the last ten years. Sibal pointed out that the Court, by its May 28 order, had directed the SIT to confine its probe to the contents of the social media posts.

Noting that Mahmudabad had cooperated with the investigation and surrendered his devices, the Court directed that he should not be summoned again. "You don't require him (Mahmudabad), you require a dictionary," Justice Kant said. The bench further directed the SIT to conclude its investigation within four weeks.

Appearance: Senior Advocates Kapil Sibal and Siddharth Luthra, Advocate Nizam Pasha (for Mahmudabad); ASG SV Raju (for Haryana)

Case Title : MOHAMMAD AMIR AHMAD @ ALI KHAN MAHMUDABAD Versus STATE OF HARYANA | W.P.(Crl.) No. 219/2025

Hindustan

पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार की अपेक्षा: दिल्ली HC ने क्यों कहा ऐसा

संक्षेप: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग करने से बचने की अपेक्षा की जाती है।

https://www.livehindustan.com/ncr/police-officers-are-expected-to-treat-women-with-respect-why-the-delhi-hc-said-so-201761569980034.html

27 अक्तूबर 2025

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग करने से बचने की अपेक्षा की जाती है। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

इस महिला ने पुलिस थानों द्वारा महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और महिलाओं के साथ व्यवहार करते समय पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग न करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि अदालत को ऐसे कोई दिशानिर्देश बनाने का कोई कारण नहीं दिखता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग न करने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि यह याचिका नामंजूर की जा रही है।

याचिकाकर्ता थोप्पनी संजीव राव ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दर्ज की गई अपनी शिकायत की जांच की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया कि एनएचआरसी द्वारा पुलिस को चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि एनएचआरसी के समक्ष पेश याचिका के संबंध में याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूर्व के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आयोग के पास मामले की स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की शक्तियां हैं। पीठ ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता आवश्यक निर्देश प्राप्त करने हेतु उचित आवेदन दायर करके आयोग के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

Jagran

`महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग करने से पुलिस को बचना चाहिए' दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-delhi-high-court-police-must-avoid-abusive-language-towards-women-40021206.html?utm_source=article_detail&utm_medium=CRE&utm_campaign=latestnews_CRE

By Vineet Tripathi Edited By: Sonu Suman

Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:16 PM (IST)

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा कि पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालत ने एनएचआरसी में दर्ज एक महिला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। अदालत ने कहा कि इस मामले में किसी विशेष दिशानिर्देश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस से पहले से ही उचित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अदालत ने उक्त टिप्पणी थोप्पनी संजीव राव नामक एक महिला की याचिका पर की। महिला ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दर्ज की गई उनकी शिकायत की जांच की मांग की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि अदालत को ऐसे कोई दिशानिर्देश बनाने का कोई कारण नहीं दिखता। पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग करने से बचने की अपेक्षा की जाती है।

महिला ने याचिका में कहा कि एनएचआरसी द्वारा पुलिस को चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूर्व के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आयोग के पास मामले की स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की शक्तियां हैं। पीठ ने कहा कि इसके लिए याचिकाकर्ता आवेदन दायर करके आयोग के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।